राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

माननीय उपाध्यक्ष कार्यालय

फाइल संख्या - . NCBC/DO/2020/232-VC

सुनवाई की तिथि – 06/07/2020

***

श्री सिराज चौधरी प्रोपराईटर मैसर्स कुमारी शाबरीन चौधरी, इटावा के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में माननीय उपाध्यक्ष डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट -1, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066 में दिनांक 06.07.2020 समय 11:00 बजे सुनवाई नियत की गयी।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :-

1. श्री लोकेश कुमार प्रजापति, माननीय उपाध्यक्ष महोदय
2. श्री जे. रविशंकर, अवर सचिव
3. श्री संदीप कुमार, निजी सचिव मा0 उपाध्यक्ष
4. राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी
5. राजशी पटवारी, अनुसंधान अन्वेषक

आयोग के समक्ष उपस्थिति हेतु अपेक्षित अधिकारीगण एवं अन्य:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
2. कुलपति, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा
3. कुलसचिव, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा
4. जिलाधिकारी, इटावा
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा
6. शिकायतकर्ता

उपस्थित पक्षगण :-

1. श्री सिराज चौधरी, शिकायतकर्ता

उपस्थित अधिकारीगण :-

1. श्री हेग सिंह, एसटीएग, सैफई, इटावा, उत्तर प्रदेश
2. श्री सुरेश चन्द शर्मा, कुलसचिव,उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
3. श्री जयशंकर प्रसाद, विशेष कार्य अधिकारी(ओएसडी), उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा

संलग्न - यथोक्त।

सुनवाई / जाँच का विवरण :-

आवेदक श्री सिराज चौधरी द्वारा लगाये गए आरोप :-

उपरोक्त के सम्बन्ध में श्री सिराज चौधरी द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक पिछड़ी जाति (कस्साब) मुस्लिम व्यक्ति है (जाति प्रमाण पत्र संलग्नक है) मेरी फर्म मैसर्स कु0 शाबरीन चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल प्लम्बरिंग वर्क्स एण्ड लेबर सप्लायर्स, इटावा उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई जनपद इटावा में हास्पीटल सैनीटेशन का कार्य संस्थान से हुये अनुबंन्ध दिनांक 01.04.2007 से गुणवत्ता के आधार पर सुचारु रुप से कर रही है जिसको समय समय पर सराहा जाता रहा है ।

यह कि संस्थान के तत्कालीन निदेशक महोदय के पत्र सं0 5700/रिम्सएण्डआर/2011-12 दिनांक 31 मार्च 2012 के आदेशानुसार आज तक कार्य किया जा रहा है। तदोपरान्त "सम्यक विचारोपरान्त संस्थान के मध्य हुए सेनिटेसन सेवाओं के संचालन के अनुबन्ध में नई निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होने तक की अवधि हेतु विस्तार प्रदान किया गया है। संस्थान द्वारा समय-समय पर निविदायें निकाली गयी और आवेदक फर्म को उपर्युक्त पाया परन्तु निविदायें निर्णित न होने के कारण आवेदक को रिट सं0 65206/2013 करनी पड़ी | संस्थान द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को विश्वास दिलाया गया कि चूंकि निविदा को 03 वर्ष व्यतीत हो चुके है जिसका फर्म द्वारा कोई विरोध न करने पर मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16.09.2016 में फर्म को फ्रेश टैण्डर में प्रतिभाग करने का आदेश पारित किया गया है। संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा आवेदक के कार्य को प्रमाण-पत्रों के माध्यम से सराहा गया है, जिसमें हाल ही में मा0 कुलसचिव महोदय द्वारा फर्म के उत्कृष्ट कार्य हेतु सराहा है। श्रीमान उपजिलाधिकारी,सैफई के पत्र संख्या1350/एसटी-जाँच-पीजीआई-सैनीटेशन-2018 दिनाकः20.08.2018 के माध्यम से श्रीमान अपर जिलाधिकारी, इटावा को अवगत कराया गया था कि फर्म द्वारा किया जा रहा कार्य गुणवत्तापूर्ण व अच्छा है। पूर्व में संस्थान/विश्वविद्यालय के साथ हुये अनुबंन्ध दिनांक 01.04.2007 से कार्य की गुणवत्ता/लगनशीलता के आधार पर आज तक सफाई व्यवस्था का कार्य सुचारु रुप से किया जा रहा है, में कार्य आदि से सम्बन्धित कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत पत्राचार नही किया गया और न ही मौखिक रुप से अवगत कराया गया है।

संस्थान से विश्वविद्यालय में परिवर्तित होने के बाद कुलसचिव का पद सृजित हुआ वर्ष 2017 में कुलसचिव महोदय द्वारा की गयी इच्छाबढ़ोत्तरी की पूर्ति न कर पाने पर परेशान करने के लिये जो भी पत्राचार किये गये उसका बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किया गया है परन्तु उसमें भी सफाई आदि से सम्बधित कोई शिकायत नही की और न कभी अवगत कराया गया। श्रीमान कुलसचिव महोदय का कहना है श्रीमान प्रमुख सचिव श्री रजनीश दुबे जी का आदेश है कि अब तक कैसे पिछड़ी जाति के मुस्लिम से कार्य करवा रहे हो यह व्यक्ति दिखना नही चाहिये इनको जैसे भी भगाना हो भगाओ हम किसी पिछड़ी जाति के मुस्लिम को कार्य नही करने देगें और उसी के तहत श्रीमान कुलसचिव महोदय लगनशील फर्म को दुष्प्रचार के माध्यम से बदनाम कर अनैतिक तरीके से असत्य आरोप लगाकर पत्राकः सं0 2200/यू.पी.यू.एम.एस/एम.एम/सैनीटेशन/207/2019-20 दिनाकः21 अक्टूबर 2019 के माध्यम से आजीवन के

लिये ब्लैकलिस्टीड कर समाचार पत्रो में प्रकाशित कराकर फर्म व आवेदक को जाति के आधार पर जलील किया गया जिसको माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट सं0 36074/2019 के माध्यम से दिनाकः07.11.2019 श्रीमान कुलसचिव महोदय कार्यालय आदेश सं0 2200/यू.पी.यू.एम.एस/एम.एम/सैनीटेशन/207/2019-20 दिनाकः21 अक्टूबर 2019 के माध्यम से आजीवन के लिये ब्लैकलिस्टीड को निरस्त कर दिया जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश को पार्टल पर दिनाकः30.11.2019 को दर्ज किया गया | पिछड़ी जाति के मुस्लिम होने के नाते श्रीमान कुलसचिव महोदय ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश जो पार्टल पर दिनाकः30.11.2019 को दर्ज हुआ था से एक दिन पहले ही पुनः ब्लैकलिस्टीड करने के लिये हस्ताक्षरीत पत्र सं0 3168/यू.पी.यू.एम.एस/एम.एम/सेनीटेशन/207/2019-20 दिनाकः30 नबम्वर 2019 जिसके बिन्दुओ का बिन्दुबार जबाव दिये जाने के बावजूद चूकि पहले से तय था कि फर्म को विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित निविदा सं0 यूपीयूएमएस/एमएम-सैनीटेशन सर्विसेस/126/2018-19 दिनाकः 05 फरवरी 2019 को खोला गया जिसमें फर्म को तकनिकी तौर पर सफल पाये जाने के बावजूद पूर्व घोषित निविदा कमेटी के स्थान पर एक दिवसीय कमेटी का गठन किया गया जिसने असत्य तथ्यों के आधार पर तकनिकी तौर पर फर्म को बाहर कर दिया अपत्ति किये जाने पर पूर्व कमेटी के निर्णय को बहाल रखते हुये फर्म को तकनिकी तौर पर सफल घोषित किया गया और फाइनेंसियल बिड खोली गयी जब आवेदक फर्म को प्रथम पाया गया प्रथम आने से खिसयाये अधिकारीयो ने कार्य में बँटवारा कर दिया उससे भी तसल्ली नही मिली अधिकारीयों की आपसी खीचतान के कारण बँटवारा सफल न हो सका तो नियमो को दरकिनार कर जबरदस्ती अनैतिक तरीके से निविदा को निरस्त करने के बाद दो हिस्सो में बाटकर पुनः नई निविदा सं0 1150 एंव 1151 दिनाकः 31.10.2019 को दिनाकः 02.11.2019 को आई0टी0 पर अपलोड किया गया तथा ई0टेण्डर निविदा विज्ञापन सं01184 दिनाकः 07.11.2019 जो दिनाकः 09.11.2019 को प्रकाशित कराया गया था में हिस्सा न ले सके परन्तु आवेदक फर्म ने विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित निविदा सं01150 एंव 1151 दिनाकः 31.10.2019 को समय से बिड सं0 1485631 के माध्यम से दिनाकः09.01.2020 ई0टेण्डर की पोर्टल के माध्यम से भरा गया जिसको स्वीकार भी किया गया है |

पिछड़ी जाति के मुस्लिम होने के नाते श्रीमान कुलसचिव महोदय ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेष जो पार्टल पर दिनाकः30.11.2019 को दर्ज हुआ था से एक दिन पहले ही पुनः ब्लैकलिस्टीड करने के लिये हस्ताक्षरीत पत्र सं0 3168/यू.पी.यू.एम.एस/एम.एम/सैनीटेशन/207/2019-20 दिनाकः30 नबम्वर 2019 के जवाब देने के बावजूद पहले से मन बनाये विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित निविदा सं01150 एंव 1151 दिनाकः 31.10.2019 को समय से बिड सं0 1485631 के माध्यम से दिनाकः09.01.2020 ई0टेण्डर की पोर्टल के माध्यम से भरा गया जिसको स्वीकार करने के बावजूद कार्यालय आदेश संख्याः2879/UPUMS/Cont.Call/207/2019-20/3410-E Date:20 December 2019 के माध्यम से पुनः तीन साल के लिये ब्लैकलिस्टीड कर दिया जिसके पुनःविचार के लिये दिनाकः26.12.2019 को प्रर्थना पत्र दिया जिस पर श्रीमान कुलपति महोदय ने पत्राकःसं0 2955/ई/यू.पी.यू.एम.एस/समा0प्रशा0/2019-20 दिनाकः 27.12.2019 को जाँच

समिति का गठन किया गया था में उपस्थिती के लिये श्रीमान कुलसचिव महोदय द्वारा जारी पत्राकःसं.4288/ई/यू.पी.यू.एम.एस/समा0प्रशा0(01)ए0ए0ओ0/2019-20 दिनाकः 19.02.2020 में वर्णित विषयः जाँच समिति के समक्ष दिनाकः 05.03.2020 उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे जिसकी बैठक किसी कारण वश दिनाकः 05.03.2020 नही हो पायी जिसकी आज दिनाकः तक कोई सूचना नही दी गयी परन्तु जाँच प्रचलन में है।

कार्यालय आदेश संख्याः2879/UPUMS /Cont.Call/207/2019-20 / 3410-E Date:20 December 2019 के माध्यम से पुनः तीन साल के लिये ब्लैकलिस्टीड कर दिया जिसके पुनःविचार के लिये पुनःदिनाकः27.12.2019 के 505 पेची प्रर्थाना पत्र को श्रीमान कुलपति महोदय सहित सम्बधितो एंव श्रीमान विशेष कार्याधिकारी महोदय को दिनाकः 30.12.2019 को रिसीव कराया जिसपर श्रीमान कुलपति महोदय ने जाँच करने के आदेश दिये जिस पर जांचोपरांत श्रीमान विशेष कार्याधिकारी महोदय ने सम्पूर्ण जाँच को 22 पेचो इगिंत कर अपनी डिस्पेच रजिस्ट्रर के क्रम सं0 106 दिनाकः17.02.2020 को उपलब्ध कराया जा चुका है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित निविदा सं0 यूपीयूएमएस/एमएम-सेनीटेशन सर्विसेस/126/2018-19 दिनाकः 05 फरवरी 2019 को खोला गया जिसमें फर्म को तकनिकी मूल्यांकन में सफल पाये जाने के बावजूद पूर्व घोषित निविदा कमेटी के स्थान पर एक दिवसीय कमेटी का गठन किया गया जिसने असत्य तत्थो के आधार पर तकनिकी मूल्याकंन में फर्म को बाहर कर दिया आपत्ति किये जाने पर पूर्व कमेटी के निर्णय को बहाल रखते हुये फर्म को तकनिकी मूल्यांकन पर सफल घोषित किया गया और फाइनन्सल बीड खोली गयी जिसमें आवेदक फर्म को प्रथम पाया गया प्रथम आने से खिसयाये अधिकारीयो ने कार्य में बॅटवारा कर दिया उससे भी तसल्ली नही मिली अनैतिक कार्य होने के कारण अधिकारीयों की आपसी खीचतान के चलते बॅटवारा सफल न हो सका तो नियमो को दरकिनार कर अनैतिक तरीके से निविदा को निरस्त कर अपनी परिचित फर्म के कहने पर पूर्व निविदा को दो हिस्सो में बांटकर पुनः नई निविदा पत्राकः सं0 1150 एंव 1151 दिनाकः 31.10.2019 को दिनाकः 02.11.2019 को आई0टी0 पर अपलोड किया गया तथा ई0टेण्डर निविदा विज्ञापन सं01184 दिनाकः 07.11.2019 जो दिनाकः 09.11.2019 को प्रकाशित कराया गया है आवेदक फर्म द्वारा समय और नियमो का पालन करते हुये नई निविदा पत्राकः सं01150 एंव 1151 दिनाकः 31.10.2019 में प्रतिभाग किया तो अब फिर पुनःवर्ती दोहराते हुये पुर्व में गठित स्क्रीनिंग निविदा कमेटी के होते हुये पूर्व प्रस्ताविक स्क्रीनिंग निविदा कमेटी के स्थान पर अपनी मनमानी करने के लिये पत्राकः सं0 3699/UPUMS /Cont.Call/123/2019-20 Date:24 February 2020 में अपने आप को सदस्य बनाते हुये कुलसचिव महोदय ने आठ सदस्यी कमेटी का गठन कर दिनाकः 26 फरबरी 2020 को प्रभारी अधिकारी अनुबन्ध प्रकोष्ट/मुख्य लेखा/वित्त अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी हॉस्पिटल सेनीटेसन न होने के बावजूद अपने कमरे में सम्बधित बाबू को बुलाकर स्क्रीनिंग निविदा कमेटी का मसौदा तैयार कराकर हस्ताक्षर कराने के लिये भेजा गया है जो तकनिकि मूल्याकंन में घोर लापरवाही एंव आवेदक के साथ अन्याय है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (2) कार्यालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निधि भवन कानपुर को तत्कालीन श्रीमान कुलसचिव महोदय के पत्र संख्याः 49/ई/यूपीयूएमएस/2017-18 दिनांक 06 अप्रैल 2017 के माध्यम से

आवेदक फर्म को अप्रैल 2007 से मार्च 2017 तक ई0पी0एफ मध्य में रु0 1,53,32454/-का भुगतान किया जाना बताते हुए स्वयः उपस्थित होकर अपने विशेष अनुरोध पर शिकायत दर्ज कराते हुए 7ए की कार्यवाही प्रचलित करने का कार्यालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निधि भवन कानपुर से अपने ईमेल पर ईपीएफ/एमपी एक्ट 1952 के तहत पत्र संख्या121855/यू0पी0/39143/प्रवर्तन-ा◌ा/सी0सी0◌ा◌ा◌ा दिनाकः 09.05.2017 को नोटिस जारी कराया गया तथा उसी नोटिस पर श्री के0 बी0 अग्रवाल, वरिष्ठ प्रषासनिक अधिकारी को पैरवी के लिये नियुक्त किया गया जिसकी सूचना आवेदक को उपलब्ध कराई गयी। उक्त के सन्दर्भ में पूर्व में जारी नोटिससं0122968 यू0पी0/39143 प्रर्वतन-7ए/सी0सी0◌ा◌ा◌ा दिनाकः17.09.2010 के अनुपालन में मांगी गयी सूचनायें फर्म द्वारा उपलब्ध करायी गयी। जिस पर श्रीमान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त महोदय द्वारा लम्बित प्रकरण वित्तीय वर्ष अप्रैल 2008 से जून 2010 तक साक्ष्यों के आधार पर भविष्य निधि अंशदान जमा पाते हुए दिनांक 01.04.2011 को निर्णित कर आदेश पारित किया गया।

कार्यालय आदेश संख्याः 2879/UPUMS /Cont.Call/207/2019-20/3410-E Date:20 December 2019 के माध्यम से पुनः तीन साल के लिये ब्लैकलिस्टीड कर दिया जिसके पुनःविचार के लिये पुनःदिनाकः27.12.2019 के 505 पेची प्रर्थाना पत्र को श्रीमान कुलपति महोदय सहित सम्बधितो एंव श्रीमान विशेष कार्याधिकारी महोदय को दिनाकः 30.12.2019 को रिसीव कराया जिसपर श्रीमान कुलपति महोदय ने जाँच करने के आदेश दिये जिस पर जाँच उपरान्त श्रीमान विशेष कार्याधिकारी महोदय ने सम्पूर्ण जाँच को 22 पेचो इगिंत कर अपनी डिस्पेच रजिस्ट्रर के क्रम सं0 106 दिनाकः17.02.2020 को उपलब्ध कराया जा चुका है।

उपरोक्त के क्रम में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त महोदय द्वारा साक्ष्यों के आधार पर अपने पत्र दिनांक 01.04.2011 एवं 23.09.2013 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2011 एवं 2013 का अंशदान निरन्तर जमा होने का जारी किया। वित्तीय वर्ष 2011-12 से मार्च 2017 तक के चालानों की प्रतियों के आधार पर रू0 85,10,849/-को पुनः दिनाकः17 मई 2017 को प्रति पृष्ठ की प्राप्ति के साथ फर्म ने भविष्य निधि संगठन कार्यालय कानपुर को उपलब्ध कराया है तथा उन्हीं समस्त चालानों की प्रतियों को समस्त पृष्ठों की प्राप्ति को पत्र दिनांक 22.05.2017 के माध्यम से श्रीमान वित्त अधिकारी एवं कुलसचिव महोदय के कार्यालय में प्राप्ति करायी गयी थी। तदोपरान्त तत्कालीन कुलसचिव महोदय द्वारा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से पुनः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय की प्रथम सुनवाई दिनांक 09-6-2017 को भुगतान का विवरण प्रस्तुत कराया गया जिसमें ईपीएफ के मद रू0 87,63,436.64 दर्शाये गये। सुनवाई के दौरान दर्शायी गयी धनराशियों के अन्तर की फर्म द्वारा की गयी जिस पर तत्कालीन मा0 कुलपति महोदय ने अपने पत्र सं0 2556/ई/यूपीयूएमएस/2017-18 दिनांक 11 अक्टूबर 2017 के माध्यम से क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-। कानपुर को अवगत कराया कि पत्र सं0 49/ ई/यूपीयूएगएरा/2017-18 दिनांक 06 अप्रैल 2017 के माध्यम से फर्म पर वित्तीय वर्ष अप्रैल 2007 से मार्च 2017 तक ई0पी0एफ अंशदान मद में रु0 1,53,32,454/-का भुगतान किया जाना बताया गया था उसमें फर्म द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेनीटेशन सामग्री का भुगतान भी शामिल है उक्त के बाद पत्र सं0 3266/ई/ यूपीयूएमएस /2017-18 दिनांक 24 नवम्बर 2017 जिसमें 09.06.2017 के

दौरान जमा किए गये, विवरण को सही माना गया है पत्र सं0 3326/ई/यूपीयूएमएस/2017-18 दिनांक 30 नवम्बर 2017 के द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 09.06.2017 की कार्यवाही में उपलब्ध कराया गया विवरण लिपिकीय त्रुटि होने के कारण उसे निरस्त माना जाये।

विश्वविद्यालय द्वारा बार-बार परिवर्तित भाषा के पत्रों के कारण उत्पन्न हुई भ्रम की स्थिति को स्पष्ट न करने पर श्रीमान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त महोदय द्वारा रिजर्व किये गये निर्णय दिनांक 8.12.2017 के विरूद्व रिट सं0 59935/17 मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद निर्णय दिनांक 3 जनवरी 2018 के अनुसार वाद विचारणीय है। फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों के भुगतान के समय बिलों के साथ संलग्नक किये जाते रहे है जो कि वर्ष 2017 से मार्च 2019 तक का कुछ भुगतान श्रीमान जी द्वारा काटा भी गया है तथा अपने चार्टड एकाउंटेंट एवं कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय कानपुर से इटावा क्षेत्र के प्रवर्तन अधिकारी महोदय द्वारा जारी पत्र के साथ संलग्नक माह मार्च 2019 तक के प्रमाणित चालानों की प्रति पुनः संलग्न-14 है। उक्त के सापेक्ष में कर्मचारियों की सूची आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रोफार्मा के अनुसार कर्मचारी का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या और यूएएन नम्बर की 313 वर्करों की सूची श्रीमान कुलसचिव महोदय के कार्यालय में दिनांक 6 जुलाई 2019 को रिसीव करायी जा चुकी है तथा 10 जुलाई 2019 को श्रीमान निदेशक वित्तएवं वित्त नियंत्रक महोदय के कार्यालय में करायी जा चुकी है, की दोनो की छायाप्रतियाँ संलग्नक-15 है। श्रीमान जी आवेदक फर्म द्वारा सुपरस्पेशलिटी से लेकर विश्वविद्यालय तक उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य करते हुए प्रंशस्ति-पत्र प्राप्त करती चली आ रही है और जब-जब जैसे निर्देश मिलें उसके अनुपालन में हॉस्पिटल के न्यू बिल्डिंग व पुरानी बिल्डिंग व बाहरी क्षेत्र एंव ट्रामा सेन्टर तथा पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय, फार्मासी, नर्सिग कॉलेज में कार्यरत कर्मचारीयों की हस्ताक्षरयुक्त सूची मा0 कुलपति महोदय एंव कुलसचिव महोदय तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में दिनाकः14.06.2019 को रिसिव कराया एंव इससे पूर्व मा0 कुलपति महोदय एंव कुलसचिव महोदय को दिनाकः13.09.2018 श्रीमान कुलसचिव महोदय तथा चिकित्सा अधीक्षक व नर्सिग अधीक्षक कार्यालय में दिनाकः 24.10.2018 को प्राप्त कराया गया है । महोदय आवेदक फर्म द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार वर्दी व पहचान-पत्र उपलब्ध कराये जाते हैं एवं कराये जा रहे है। अभी हाल ही में अपने सुपरवाईजरों को पहचान-पत्र के साथ सर्दी की जैकेटे उपलब्ध करायी गयी है तथा सफाई कर्मचारियों को तत्कालीन मा0 कुलपति महोदय के निर्देशानुसार निर्धारित काले रंग की टी-शर्ट बंटवायी गयी थी। पुनः फर्म द्वारा सफाई कर्मचारियों को सर्दी की ड्रेस उपलब्ध कराई जा रही है, आदि आरोप अंकित किये गए |

कार्यालय उपजिला मजिस्ट्रेट सैफई जनपद इटावा द्वारा प्रेषित संयुक्त जांच आख्या :

कार्यालय उपजिला मजिस्ट्रेट सैफई जनपद इटावा द्वारा प्रेषित पत्रांक संख्या 785/एस0टी0 / मा0रा0पि0वर्ग आयोग / 2020 दिनांक जुलाई 04, 2020 श्री चंद्रपाल सिंह, क्षेत्राधिकारी सैफई व श्री हेम सिंह, उप जिलाधिकारी सैफई की संयुक्त जांच आख्या जिसके अंतर्गत अवगत कराया गया कि

विश्वविद्यालय में सेनिटेशन का कार्य कर चुकी पूर्व फर्म मैसर्स कुमारी शाबरीन चौधरी द्वारा कई कई माह का बिल नहीं दिया जाता था और ना ही अपने कर्मचारियों का वेतन समय पर दिया जाता था | कर्मचारियों के EPF खाते में पैसा जमा करने का कोई प्रमाण कार्मिको को और न ही विश्वविद्यालय को नहीं दिया जाता था, और न ही उनको ईपीएफ इत्यादि का भुगतान किया जाता था | कर्मचारियों द्वारा वेतन की मांग की जाती है | पूर्व में सेनिटेशन का कार्य कर रही फर्म मैसर्स कुमारी शाबरीन चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर्स एंड प्लंब्रिंग वर्क्स इटावा (विश्वविद्यालय में सफाई व्यवस्था) का कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया निम्नवत पाया गया :-

1. विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा फर्म से दिनांक 27.03.2007 को प्रथम अनुबंध किया गया तथा फर्म दिनांक 01.04.2007 से कार्य कर रही थी |
2. फर्म के साथ दिनांक 30.03.2010 को पुनः अनुबंध किया गया था जोकि 2 वर्ष की अवधि तक के लिए था |
3. विश्वविद्यालय द्वारा पत्र के माध्यम से दिनांक 31.03.2012 को एक आदेश जारी किया गया जिसमें की नई निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होने की अवधि तक अनुबंध विस्तार किया गया |
4. विश्वविद्यालय द्वारा जून 2013 में सैनिटेशन के कार्य हेतु नई निविदा प्रकाशित की गई थी | जो कि तकनीकी कारणों से पूर्ण न हो सकी | तदोपरांत पुनः सितंबर 2013 में निविदा प्रकाशित की गई थी जो कि प्रक्रियाधीन थी जिस संबंध में फर्म मैसेज कुमारी शाबरीन चौधरी इटावा द्वारा निविदा को अपने पक्ष में किए जाने हेतु एक रिट याचिका भी दायर की गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निविदा की प्रक्रिया संपन्न किए जाने के निर्देश इस शर्त के साथ दिए गए थे कि अनुबंध माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा | तदक्रम में दो बार वर्ष 2017 एवं वर्ष 2018 में निविदा प्रकाशित की गई | जो कि किसी न किसी तकनीकी कारणों से पूर्ण नहीं हो सकी |
5. फर्म के विरुद्ध अनुबंध की शुरुआत से कई शिकायतें तथा ईपीएफ संबंधित गबन का आरोप रहा है जिस क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा उक्त शिकायतों के संबंध में एक जांच समिति का गठन किया गया जांच समिति की रिपोर्ट पर फर्म को दिनांक 24.09.2019 को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया |
6. उक्त के क्रम में ब्लैक लिस्ट से हटाए जाने हेतु एक वाद माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में योजित किया | जिसमें न्यायालय द्वारा फर्म को सुनवाई हेतु समुचित अवसर देते हुए पुनः कार्यवाही करने का आदेश दिया |
7. माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में दिनांक 06.12.2019 दिनांक 11.12.2019 एवं दिनांक 16.12.2019 को व्यक्तिगत रूप से फर्म से सुनवाई की गई | जिसमें फर्म के द्वारा किसी भी प्रकार का उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया | तत्पश्चात विश्वविद्यालय के पत्रांक 2879/यूपीयूएमएस /का0से0/207/ 2019-20 दिनांक 20.12.2019 के द्वारा फर्म को पुनः 3 वर्षों के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया |

8. फर्म ने पुनः माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अंतिम रूप से सफल टेंडर प्रक्रिया को स्थगित करने व फर्म को काली सूची से हटाए जाने के संबंध में एक रिट याचिका आयोजित की है | जोकि विचाराधीन हैं | जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया गया है |
9. विश्वविद्यालय द्वारा इपीएफ गबन की एफआईआर भी फर्म के विरुद्ध कराई गई है |
10. दिनांक 02.11.2019 को विश्वविद्यालय द्वारा सैनिटेशन संबंधी ई-निविदा अपलोड की गई | सैनिटेशन संबंधित निविदा को दो भागों में विभाजित किया गया था | एरिया -1 एवं एरिया -2, एरिया-1 में कुल 11 फर्मो ने एवं एरिया-2 में कुल 9 फर्मों ने प्रतिभाग किया |
11. तकनीकी बिड में दोनों एरिया में कुल 05-05 फर्म योग्य पाई गई |
12. दिनांक 04.03.2020 को उपरोक्त टेंडर की वित्तीय निविदा खोली गई तथा फर्म मैसर्स शार्प ग्लोबल ग्रुप फरीदाबाद हरियाणा का चयन कर लिया गया है |
13. दिनांक 16.03.2020 को नवीन चयनित फर्म मैसर्स शार्प ग्लोबल ग्रुप फरीदाबाद हरियाणा को कार्य आदेश जारी कर दिया गया |
14. फर्म मैसर्स कुमारी सावरीन चौधरी इटावा का कार्यकाल नई निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत स्वतः समाप्त हो गया |
15. फर्म मैसर्स कुमारी सावरीन चौधरी इटावा द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में उत्पीड़न की शिकायत की गई | जिसके सापेक्ष में दिनांक 17.03.2020 को आयोग द्वारा इस संबंध में एक पत्र विश्वविद्यालय को प्रेषित किया गया | जिसमें आयोग द्वारा प्रतिउत्तर की मांग एक सप्ताह में विश्वविद्यालय से की गई | तदक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा पत्र संख्या 4690 दिनांक 21.03.2020 के माध्यम से आयोग को उत्तर प्रेषित कर दिया गया | दिनांक 20.03.2020 को आयोग द्वारा बिना विश्वविद्यालय का पक्ष सुने अपनी जांच प्रक्रिया पूरी होने तक कार्रवाई को रोकने के निर्देश दिए गए |
16. पत्र संख्या 4746 दिनांक 28.03.2020 के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पत्र के माध्यम से यह अनुरोध किया गया कि उनके द्वारा पूर्व में जारी कार्य प्रक्रिया स्थगन के आदेश को वापस ले लिया जाए क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचा जा सके एवं साफ़ सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे |
17. ई-निविदा के माध्यम से चयनित फॉर्म में मैसर्स शार्प ग्लोबल ग्रुप फरीदाबाद हरियाणा ने प्रक्रिया पूर्ण होने पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है |
18. फर्म मैसर्स कुमारी शाबरीन चौधरी इटावा के पास विश्वविद्यालय के सिंपल वेस्ट निस्तारित करने का भी कार्य था जिसे टेंडर प्रक्रिया अपनाकर एक नई फर्म मैसर्स श्रद्धा कंस्ट्रक्शन इटावा को दे दिया गया है | मैसर्स श्रद्धा कंस्ट्रक्शन इटावा की सिंपल वेस्ट निस्तारण का कार्य शुरू कर दिया है |

19. आवेदक सिराज चौधरी द्वारा अंकित आरोप यू0पी0यू0एम0एस0 सैफई में स्थित सरकारी आवास में उसकी गैरमौजूदगी अज्ञात लोगों द्वारा ताला तोड़कर घर का सामान व रखे जेवर आदि निकाल लेने संबंधी आरोप अंकित किए गए थे | जिस के संबंध में अवगत कराना है कि आवास संख्या टाइप-1जी-205 एवं आवास संख्या टाइप-1जी-206 विश्वविद्यालय के न्यू परिसर में तथा आवास संख्या टाइप टू ए-01 फायर स्टेशन आवास चिकित्सालय परिसर में आवेदक का सामान रखा था | आवेदक सिराज चौधरी उपरोक्त को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आवास खाली करने हेतु नोटिस दिए जाने के उपरांत भी आवास खाली नहीं किया गया था | जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 6 सदस्य कमेटी गठित कर सरकारी आवास खाली कराया गया था | जिसकी फोटोग्राफी/ वीडियोग्राफी की गई थी |

उक्त आरोपों के संबंध में आवेदक सिराज चौधरी को अभिकथन अंकित कराने हेतु कई बार क्षेत्राधिकारी सैफई द्वारा मोबाइल नंबर 9411688823 पर वार्ता कर बुलाया गया था | आवेदक सिराज चौधरी उपरोक्त अभिकथन अंकित कराने हेतु उपस्थित नहीं हुआ है | उक्त सिराज चौधरी द्वारा वेतन देने के नाम पर शपथ पर गलत तथ्य अंकित कर सफाई कर्मचारियों के हस्ताक्षर कराए गए हैं | शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सफाई कर्मचारियों से पूछताछ की गई तो सफाई कर्मचारियों द्वारा अंकित सत्य असत्य निराधार बताए गए हैं | किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार का शोषण किया जा रहा है | आवेदक सिराज चौधरी द्वारा गलत आख्या अंकित कर माननीय आयोग को शि0प्रा0पत्र प्रेषित किए गए हैं | शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी है अंकित आरोप असत्य व निराधार हैं | आवेदक के विरुद्ध थाना सैफई इटावा वादी श्री सुरेश चंद शर्मा कुलसचिव पीजीआई सैफई इटावा द्वारा दिनांक 25.02.2020 को मुकदमा अपराध संख्या 49/2020 धारा 420, 406 भादवि बनाम सिराज चौधरी के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया | जिसकी विवेचना वर्तमान में ईओडब्ल्यू कानपुर नगर के द्वारा संपादित की जा रही है | दिनांक 06.06.2020 को वादी श्री डॉक्टर आदेश कुमार चिकित्सा अधीक्षक यू0पी0यू0एम0एस0 सैफई इटावा द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 135/2020 धारा 323, 504, 332, 353, 269, 270 भादवी व 51/ 3 बनाम सिराज चौधरी आदि 04 नफ़र के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था | जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक श्री अखिलेश पाल द्वारा ग्रहण पर संपादित की जा रही थी | विवेचक उप निरीक्षक के स्थानांतरण के उपरांत इस अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक श्री गणेश गुप्ता द्वारा साक्ष्य के क्रम में की जा रही है | सिराज चौधरी उपरोक्त द्वारा यूनिवर्सिटी पर दबाव बनाने हेतु असत्य व निराधार आरोप अंकित कर सफाई कर्मचारियों के उनके संज्ञान में लाए बिना हस्ताक्षर करा कर शिकायती प्रार्थना पत्र प्रेषित किए गए हैं | संदर्भित शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है |

(

मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी, श्री प्रदीप कुमार द्वारा प्रेषित आख्या :

मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी, श्री प्रदीप कुमार के पत्रांक संख्या 07/यूपीयूएमएस/वित्त एंव लेखा/2020-21 दिनांक 16 अप्रैल 2020 के अंतर्गत अवगत कराया गया कि श्री प्रदीप कुमार उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा उत्तर प्रदेश का मुख्य वित्त एंव लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत है | विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय की निविदा प्रक्रिया को दुरुतप्रगति देने एंव पारदार्शिता के साथ निस्तारण के लिये निविदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जहाँ तक मैसर्स कु0 शाबरीन चौधरी इटावा के द्वारा प्रस्तृत शिकायतो एंव मा0 आयोग के निर्देशो के क्रम में निम्नवत अभिलेखी साक्ष्यो के आधार पर अपना कथन प्रस्तृत कर रहा हूॅ।

1- संस्थान/विश्वविद्यालय एंव मैसर्स कु0 शाबरीन चौधरी इटावा के बीच निविदा प्रक्रिया की समस्त औपचारिकताये पूर्ण करते हुये दिनाकः 27.03.2007 को अनुबन्ध स्थापित हुआ था जब से निरन्तर मैसर्स कु0 शाबरीन चौधरी इटावा द्वारा सन्तोषजनक रुप से किया गया एंव फर्म द्वारा किये गये सन्तोषजनक कार्यो से संन्तुष्ट होने की ही दशा में संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा पुनः दिनाकः 30.03.2010 को मैसर्स कु0 शाबरीन चौधरी इटावा से अनुबन्ध स्थापित किया गया और अनुबन्धित फर्म द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार निरन्तर अपना कार्य सराहनीय ढ़ंग से किया गया है ऐसा अभिलेखो से प्रतीत होता है। छायाप्रति संलग्नक है |

2- आद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनाकः 04 जून 2018 को उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा उत्तर प्रदेश में मुख्य वित्त एंव लेखाधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश शासन के स्थानातरण स्वरुप ग्रहण किया था तत्यसमय तक मैसर्स कु0 शाबरीन चौधरी इटावा के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई शिकायते अभिलेखो में नही पाई गयी न ही किसी कर्मचारी का कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ और न ही विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी हॉस्पिटल सेनीटेशन एंव सिम्पल वेस्ट डिस्पोजल द्वारा किसी भी प्रकार की कोई शिकायते की गयी और न ही अभिलेखो में पायी गयी है एंव फर्म को नियमित अनुबन्ध के अनुसार धनराशी का भुगतान किया जाता रहा है।

3- जहाँ तक फर्म के विरुद्ध शिकायतो का सम्बन्ध है जैसे कार्य में शिथिलता एंव ई0पी0एफ गबन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अभिलेखो के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पत्र संख्याः49/ई/यूपीयूएमएस /2017-18 दिनांक 06 अप्रैल 2017 के माध्यम से अपर आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सर्वोदय नगर, कानपुर से शिकायत की गयी और वित्त विभाग ने दौराने सुनवाई विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बताई गयी धनराशी में संशोधन करते हुये तत्कालीन कुलपति के हस्ताक्षर से पत्र प्ररतृत किये गये जिसमें सहायक आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सर्वोदय नगर, कानपुर के द्वारा रिजर्ब किये गये आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे याचिका सं0 59935/2017 दायर की जिसका निस्तारण करते हुये दिनाकः03.01.2018 को फर्म के पक्ष में हुआ जो आज भी सहायक आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

सर्वोदय नगर, कानपुर में विचारणीय है जिसमें अभी तक फर्म मैसर्स कु0 शाबरीन चौधरी इटावा के विरुद्ध कोई गबन के सम्बन्ध में दोषारोपण नही हो सका है।(छायाप्रति संलग्नक है)

4- विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक जाँच समिति का गठन कर जाँच कराई गयी लेकिन जाँच समिति द्वारा अद्यतन कोई निष्कर्ष अध्यक्ष निविदा के समक्ष नही रखा गया उक्त विवाद से व्यथित होकर फर्म मैसर्स कु0 शाबरीन चौधरी इटावा ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे याचिका सं0 36074/2019 दायर की जिसका निस्तारण करते हुये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दिनाकः07.11.2019 को निम्न आदेश पारित किया गया (5) In view thereof impugned order dated 21.10.2019 only to the extent it has blacklisted the petitioner cannot be sustained and to that extent ,it is hereby set aside we make it clear that impugned order is set aside only to the aforesaid extent and not beyond that. विश्वविद्यालय द्वारा दिनाकः21.10.2019 को पारित ब्लैकलिस्ट सम्बन्धी आदेश को आपास्त घोषित करते हुये निर्देश दिया और इस प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेश निरस्त समझा गया। (छायाप्रति संलग्नक है)

5- माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशो के प्रभावी होते हुये भी पूर्वाग्रह कर रखा था कि फर्म मैसर्स कु0 शाबरीन चौधरी इटावा को किसी भी प्रकार से अब नई निविदा सं0 1150 एरिया (1) 1151 एरिया (2) दिनांक 31.10.2019 में प्रतिभाग न करने से विरत रखा जाये इस कारण से फर्म मैसर्स कु0 शाबरीन चौधरी इटावा के प्रतिनिधि सिराज चौधरी को व्यक्तिगत रुप से बुलाकर के विश्वविद्यालय द्वारा गठित कमेटी के समक्ष दिनाकः 06.12.2019 व 11.12.2019 तथा 16.12.2019 को व्यक्तिगत रुप से बुलाकर शिकायते रखते हुये कार्यावाही प्रस्ताविक की गयी एंव फर्म मैसर्स कु0 शाबरीन चौधरी इटावा को पूर्वा ग्रहानुसार विश्वविद्यालय ने अपने पत्र संख्याः 2879 / UPUMS / Cont.Call/207/2019-20/3410-E Date: 20 December 2019 के द्वारा पुनः तीन बर्षो के लिये ब्लैकलिस्ट कर दिया गया निश्चित रुप से फर्म को प्रयाप्त समय एंव पक्ष प्रस्तृत करने का अवसर न देते हुये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो का खुलकर उलंघन किया गया उक्त वर्णित शिकायतो के निस्तारण में मेरा प्रतिभाग एंव मंनत्रण नही लिया गया। उक्त कार्य से व्यथित होकर फर्म मैसर्स कु0 शाबरीन चौधरी इटावा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पुनः रिट सख्या 1185/2020 योजित करते हुये न्याय की प्रत्याशा में वाद दायर किया गया जो अद्यतन विचाराधीन/लम्बित है।(छायाप्रति संलग्नक है)

6- विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा शीघ्रति शीघ्र अद्यतन टेण्डर कराने के निर्देश निविदा प्रकोष्ट को दिये गये जिसपर निविदा प्रकोष्ट द्वारा पुनः नई निविदा सं0 1150 एरिया (1) 1151 एरिया (2) दिनाक 31.10.2019 को दिनांक 02.11.2019 में एन.आई.टी. पर अपलोड सम्बन्धी की गयी तथा विज्ञापन 09.11.2019 को प्रकाशित कराया गया निविदा सं0 1150 एरिया (1) में कुल 11 फर्मो एंव निविदा सं0 1150 एरिया (2) में कुल 09 फर्मो ने प्रतिभाग किया जिसमें फर्म मैसर्स कु0 शाबरीन चौधरी इटावा के द्वारा भी प्रतिभाग किया गया | निविदा स्क्रीनिंग समिति द्वारा फर्म मैसर्स कु0 शाबरीन चैधरी इटावा को तीन वर्षो के लिये ब्लैकलिस्ट

(

होने के कारण प्रारम्भिक स्क्रीनिंग से बाहर कर दिया गया फर्म मैसर्स कु0 शाबरीन चैधरी इटावा की शिकायत के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहुगा कि कार्यरत फर्म को काली सूची में डालने का निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित समिति एंव शिकायतो के आधार पर लिया गया था जिसका आदेश निविदा समिति को प्राप्त कराया गया जिसमें नियमता काली सूची में डाले जाने के कारण निविदा की आगे की कार्यवाहियों में प्रतिभाग करने से स्क्रीनिंग समिति द्वारा रोक दिया गया था फर्म मैसर्स कु0 शाबरीन चौधरी इटावा को काली सूची में डालने का निर्णय एंव गुणदोष के आधार पर लिये जाने के सम्बन्ध में आद्योहस्ताक्षरी/निविदा प्रकोष्ट को प्रतिभाग न कराये जाने के कारण कुछ भी कह पाना सम्भव नही है।

7- तकनिकी निविदा स्क्रीनिंग समिति द्वारा फर्म मैसर्स शार्प गुलोबल ग्रुप नई दिल्ली को आई पाया दिनाकः04.03.2020 को वित्तीय निविदा खोली गयी जिसमें फर्म मैसर्स शार्प गुलोबल ग्रुप नई दिल्ली की ही दरे न्यूनतम पाये जाने के कारण चयन किया गया चयन समिति द्वारा उक्त निविदा का सरसरी तौर पर परिक्षण करते हुये मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन के लिये दिनाकः13.03.2020 को भेज दिया दिनाकः16.03.2020 को चयनित फर्म को कार्य आदेश जारी कर दिनाकः01.04.2020 से काम करने के लिये कह दिया इसकी कोई सूचना कार्यरत फर्म को नही दी गयी समस्त कार्यावाही इतनी दुरुतगति से की गयी कि किसी भी फर्म को अपना पक्ष रखने का अवसर न मिल सके उक्त समस्त प्रक्रिया में कही आद्योहस्ताक्षरी की सहमति नही ली गयी और न पक्ष प्रस्तुत करने का समय दिया गया | चयनित फर्म का अनुबन्ध भी कार्यदेश निर्गत होने के पश्चात किया जाना प्रक्रिया को संदिग्ध बना देता है | जिसमें आद्योहस्ताक्षरी का कही कोई रोल नही दिखता विश्वविद्यालय के कुछ सम्भ्रान्त अधिकारीयों की कमेटी बनाकर आद्योहस्ताक्षरी के अधिकारो की उपेक्षा करते हुये मनमाने तरीके से निविदा सं0 1150 एरिया (1) एंव निविदा सं0 1151 एरिया (2) की निविदा प्रक्रिया को सम्पादित की गयी है।

8- निविदा की प्रक्रिया के सम्बन्ध में एंव प्रभारी चयन प्रकोष्ट के सम्बन्ध में मेरे द्वारा पूर्व पत्र सं0 06/यूपीयूएमएस/2020-21 दिनाकः15.04.2020 के माध्यम से विस्तुत रुप से सूचित किया जा चुका है।

9- फर्म के विरुद्ध लगाये गये आरोप कई कई माह तक बिल नही दिये जाते है के सम्बन्ध में कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय द्वारा एरिया वाइज प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये गये है जो श्रमिको की उपस्थिती प्रति हस्ताक्षर न करने के कारण विलंभ्ता की सम्भावना बनी रहती है लेकिन फिर भी समय से समस्त श्रमिको के मानदेय आदि भुगतान बिल प्रस्तुत करने पर समयातगति हुआ है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर मै कहना चाहूँगा कि फर्म मैसर्स कु0 शाबरीन चौधरी इटावा के विरुद्ध शिकायते यथा कर्मचारीयों के ईपीएफ वर्करो के मानदेय भुगतान एंव सफाई कार्य में लापरवाही के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित जाँच समिति के सदस्यों द्वारा विहिंगावलोकन करते हुये फर्म को काली सूची में डालने का लिया गया निर्णय उनके व्यक्तिगत निहातार्थ को दर्शाता है क्योकि फर्म सुपरस्पेशलटी हॉस्पिटल से लेकर विश्वविद्यालय का लगभग 13 वर्षो से सन्तोषजनक रुप से सेंवाये देती रही

है एंव समय समय पर तत्सम्बधित अधिकारीयों द्वारा प्रशंसा पत्र भी दिये जाते रहे है एंव अब अचानक विगत कुछ माह से फर्म की रेपोटेशन खराब करने के उददेश से एंव भ्रमक तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रतीत होता है। नई टेण्डर प्रक्रिया में न तो मेरा कोई दोष है और न ही किसी प्रकार का सरोकार प्रतीत होता है।

सुनवाई के दौरान हुई चर्चा का विस्तृत विवरण:-

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति :

कृपया आयोग को अपनी समस्या से अवगत करवाए।

आवेदक श्री सिराज चौधरी द्वारा लगाये गए आरोप :-

महोदय में शिकायतकर्ता मैसर्स कुमारी शाबरीन चौधरी इटावा का प्रोपराइटर हूँ, महोदय विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अपनी निजी खुन्नस निकलने के लिए कुलसचिव के माध्यम से निराधार आरोप लगाकर, उत्पीडन किया जा रहा है | जबकि वर्ष 2007 से 2017 तक मेरे कार्य के प्रति किसी भी तरह की शिकायत नहीं रही और न ही विश्वविद्यालय द्वारा पत्राचार किया गया | तत्कालीन निदेशक चिकित्सा अधीक्षक, अपर निदेशक प्रशासन, कुलपति व कुलसचिव द्वारा कार्य की हमेशा प्रशंसा की जाती रही है | वर्ष 2017 में कुलसचिव महोदय की इच्छापूर्ती न कर पाने के कारण, बगैर कुलपति के संज्ञान में लाये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कानपुर में अपने पत्र संख्या 49 दिनांक 06 अप्रैल 2017 के माध्यम से मुझ पर EPF मद का 1,53,32,454 /- रूपये जमा न करने का आरोप लगाकर पत्राचार किया और स्वयं उपस्थित होकर धारा 7A का नोटिस जारी कराया और उसी नोटिस पर अपनी कलम से लिखकर दिनांक 10.05.2017 को अपने ऑफिस में बुलाकर अवगत कराया |

मेरे द्वारा श्रीमान जी को अवगत कराया गया कि मेरे द्वारा हर भुगतान बिल के साथ EPF चालान दिए जाते रहे है | यदि आप चाहे तो पुनः उपलब्ध करा दिया जाये | परन्तु इतने पुराने चालानों में कुछ चालान नहीं भी मिल सकते है | जिस पर उन्होंने कहा कि जो भी चालान दो उसकी एक प्रति क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन कार्यालय कानपुर की रिसीविंग अनिवार्य रूप से होना चाहिए | श्रीमान जी के आदेश के अनुपालन में दिनांक 17 मई 2017 को उपलब्ध चालानों को एकत्र कर EPF कार्यालय कानपुर में रिसीव कराया और उसकी रिसीविंग की छायाप्रति कुलसचिव एवं निदेशक वित्त जो वित्त अधिकारी भी कहलाते है महोदय के कार्यालय में दिनांक 23.05.2017 प्राप्त करायी | जिसकी प्रतियाँ माननीय आयोग के अवलोकन हेतु उपलब्ध करा रहा हूँ |

महोदय आगे चलकर इन लोगो द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर निराधार आरोप लगाकर हमारे सुचारू रूप से चल रहे अनुबंध को दूसरी फर्म को फायदा पहुँचाने के लिए निरस्त कर हमारे कार्यरत 313 कर्मचारियों को लट्ठ के बल पर, अपनी शर्तो के आधार पर कुछ को रखते हुए बाकियों को भगा दिया | जिसकी शिकायत कर्मचारियों द्वारा शपथ पत्रों के माध्यम आपके समक्ष की गयी है | मुझे व समस्त कर्मचारियों को न्याय दिलाया जाए |

कुलसचिव, :(श्री सुरेश चन्द शर्मा)

महोदय, मामला 2007 से चला आ रहा है। शिकायतकर्ता ने अपने फ़र्म के अधीन काम करने वाले श्रमिकों के ईपीएफ़ खाते में पैसे जमा नहीं किये है।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुगार प्रजापति :

यह जो टेंडर शिकायतकर्ता को दिया गया था वो कब का है।

कुलसचिव, :(श्री सुरेश चन्द शर्मा)

महोदय, 2007 का है।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति :

क्या आपने वर्ष 2017 से पूर्व शिकायतकर्ता को लिखित में कोई पत्र दिया था की शिकायतकर्ता द्वारा ईपीएफ़ में धनराशि जमा नहीं की जा रही है।

कुलसचिव, :(श्री सुरेश चन्द शर्मा)

नहीं महोदय, एक शिकायत में मुख्यमंत्री कार्यालय में 2017 किसी अन्य द्वारा की गई थी।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति :

क्या पिछले 10 साल में आप को इसके बारे में कोई जानकारी नही मिली थी?

कुलसचिव, :(श्री सुरेश चन्द शर्मा)

जी नहीं महोदय, यह मामला 2017 में प्रकाश में आया।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति :

क्या आपने इसकी जाँच करवायी थी?

कुलसचिव,:(श्री सुरेश चन्द शर्मा)

महोदय, हमने एक पत्र इस मामले के संबंध में ईपीएफ़ओ के आयुक्त को लिखा था।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति :

ईपीएफ का वह दस्तावेज प्रदान करें जिसमें यह लिखा हो कि ईपीएफ जमा नहीं किया जाता रहा हो ।

कुलसचिव, :(श्री सुरेश चन्द शर्मा)

ऐसा कोई पत्र विश्वविद्यालय में नहीं है। ईपीएफ़ओ शिकायत के सम्बन्ध में वाद क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त कानपुर के यहाँ चल रहा है |

शिकायतकर्ता (श्री सिराज चौधरी) :

श्रीमानजी मेरे द्वारा निरंतर प्राप्त अंशदान जमा किया जाता रहा है और उससे सम्बंधित पत्रों को कार्यालय में जमा किया जाता रहा है | जिसके प्रमाणस्वरुप क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त कानपुर के यहाँ से 7A में निर्णित आर्डर दिनांक 01.04.2011 के आदेश की प्रति एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 02.08.2011 एवं पत्र दिनांक 23.09.2013 के अनुसार फार्म द्वारा निरंतर अंशदान जमा हो रहा है, की छायाप्रतिया आपके समक्ष प्रस्तुत है | जिससे स्पष्ट है कि हमारी फार्म द्वारा वर्ष 23.09.2013 तक के समस्त अंशदान समय से जमा किये जा रहे है | आगे श्रीमान जी वर्ष 2013 से वर्ष मार्च 2019 तक के जमा चालानों की प्रतियाँ विश्विद्यालय को उपलब्ध करा दी गयी है, जिनकी प्रतियाँ मेरे द्वारा शिकायत पत्र में प्रत्युत्तर के साथ संलग्न कर जमा की गयी है | जो आपके समक्ष है | कृपया अवलोकन करे |

कुलसचिव, :(श्री सुरेश चन्द शर्मा)

महोदय, शिकायतकर्ता ईपीएफ़ का चालान जमा करा दे । हमारी जाँच में आया है कि 313 आदमियों के पैसे फर्म को दिए गए है अगर शिकायतकर्ता ने इन लोगों का ईपीएफ़ जमा किया है तो उसका चालान हमें दिखा दिया जाए।

शिकायतकर्ता (श्री सिराज चौधरी) :

श्रीमान जी मेरे द्वारा समस्त कर्मचारियों के जमा EPF के चालानों को नत्थी कर अपने जवाब दिनांक 22.05.2017 को कुलसचिव एवं 23.05.2017 को वित्त अधिकारी के कार्यालय में जमा कराये गए है, जिसकी प्रतियाँ पुनः आपके समक्ष अपने जवाबी पत्र के साथ प्रष्ठ संख्या 366-499 पर संलग्नक है | जो आपके समक्ष है |

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति :

शिकायतकर्ता के इन उपलब्ध कराये गए रिकार्ड्स के बारे में आपका क्या कहना है |

कुलसचिव, :(श्री सुरेश चन्द शर्मा)

महोदय, मुझे इसकी जानकारी नहीं है |

शिकायतकर्ता (श्री सिराज चौधरी) :

श्रीमान जी यह गलत कह रहे है कि इन्हें इसकी जानकारी नहीं है | श्रीमानजी मेरे द्वारा ये समस्त दस्तावेज इनके कार्यालय एवं वित्त अधिकारी के कार्यालय में जमा कराये गए थे | जिरा पर मुझे पत्र जारी किया, अवलोकन करे | (अवलोकन में पत्र संख्या 35/यू0पी0यू0एम0एस0/वित्त एवं लेखा/2017-18 दिनांक 23 मई 2017) जिसमे मेरे ऊपर निकले कुल 1,33,59,631.74/- रूपये की देय राशी निकली गयी तथा मेरे द्वारा जमा चालानो को मात्र 78,35,936/- रूपये के उपलब्ध चालानो को मानते हुए, शेष राशि 55,23,696/- के चालान या चालान मिलने तक सिक्यूरिटी के रूप में इतने रूपये के एफडीआर मांगे गए | जो मेरे द्वारा जमा कर दिए गए, जो मेरे जवाबी पत्र के साथ संलग्न है,

कृपया अवलोकन करे | (अवलोकन में – प्रष्ठ संख्या 320-324 देखे गए) श्रीमान जी कुलसचिव महोदय को हमसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन यह कुलपति महोदय के कहने से हमें व हमारी फर्म के विरुद्ध यह सब कर रहे है |

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुगार प्रजापति :

शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि आपने इनका अवैध रूप से टेंडर निरस्त कर दिया है।

कुलसचिव, :(श्री सुरेश चन्द शर्मा)

महोदय, जब इनकी फ़र्म ब्लेक लिस्ट हो गयी थी उसके बाद ही यह टेंडर निरस्त किया गया था।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

आपने इनकी फ़र्म को ब्लेकलिस्ट क्यूँ किया था।

कुलसचिव,:(श्री सुरेश चन्द शर्मा)

महोदय शिकायतकर्ता द्वारा कर्मचारियों के खातो की कोई जानकारी नहीं दी गई थी | दो ठेकेदारों का नाम टेंडर द्वारा निकला था । हमने इनसे कहा था की जब तक नया टेंडर नहीं आ जाता है तब तक आप को आधा-आधा काम दे दिया जाए लेकिन समझौता नहीं हो पाने के कारण दुबारा टेंडर निकाला गया था।

शिकायतकर्ता (श्री सिराज चौधरी) :

श्रीमान जी यह गलत कह रहे है कि इन्हें इसकी जानकारी नहीं है | श्रीमान जी मेरे द्वारा श्रीमान कुलसचिव महोदय को अपने पत्र के साथ 313 कर्मचारियों के EPF खाते, बैंक खातो की विवरणी उपलब्ध करायी गयी जो जवाबी पत्र के साथ संलग्न है, कृपया अवलोकन करे | (अवलोकन में प्रष्ठ संख्या 154 से 167 प्रस्तुत किये गए)

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

शिकायतकर्ता की फ़र्म 2007 से आपके विश्वविद्यालय में कार्य कर रही है और आप के विश्वविद्यालय के द्वारा इनको समय समय पर प्रशंसा पत्र भी दिया गया था।

कुलसचिव, :(शर्मा श्री सुरेश चन्द)

महोदय हमारे विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में कहीं भी इनके द्वारा प्रस्तुत किए हुए प्रशंसा पत्र की जानकारी नही है। शिकायतकर्ता ने स्वयं ही यह प्रशंसा पत्र बना लिए होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

ऐसा कैसे कह सकते है आप सभी पत्रों पर आपके विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या डाले गए है, सभी पर अधिकारियो द्वारा हस्ताक्षर है | क्या आप यह कहना चाहते है यह झूंठे व फर्जी है | देखो इन्हें यहाँ आकर |

कुलसचिव, :(श्री सुरेश चन्द शर्मा)

महोदय मुझे इनकी जानकारी नहीं है | जो पेपर बाबू लेकर आते है, मैं हस्ताक्षर कर देता हूँ |

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

यह कैसे कह सकते हो की मुझे जानकारी नहीं है और तुम पेपर पढ़ते नहीं हो, बिना पढ़े साईन कर देते हो | कैसे यूनिवर्सिटी का प्रशासन चल रहा है | आप कार्यालय अधीक्षक आप इन पेपर को देखकर बताओ | आप बिना अधिकारियो को जानकारी दिए हस्ताक्षर कैसे करा ले जाते हो | यदि कोई भी कागज आपका हस्ताक्षर किया हुआ है, तब वह मान्य होगा |

कार्यालय अधीक्षक, (श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव):

सर, यह प्रसंशा पत्र कार्यालय द्वारा जारी किये गए है, फर्जी नहीं है | कुल सचिव महोदय की जानकारी में है |

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

शिकायतकर्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उसके 1313 मज़दूर बेरोजगार हो गए है ।

कुलसचिव, :(श्री सुरेश चन्द शर्मा)

जी नहीं महोदय, किसी भी मज़दूर कों नहीं निकाला गया है वो सब अभी भी विश्वविद्यालय में ही कार्य कर रहे है।

शिकायतकर्ता (श्री सिराज चौधरी) :

श्रीमान जी झूंठ बोल रहे है | श्रीमान जी हमारे कर्मचारियों को लट्ठो के बल पर डराया गया, कुछ लोगो से नौकरी के नाम पर वसूली करके कार्य कराया जा रहा है | जिनके शपथ पत्र आपके पास है | सभी लोग कार्यरत नहीं है |

एसडीएम, सैफई (श्री हेम सिंह):-

महोदय, विश्वविद्यालय में अभी भी 313 मज़दूर कार्य कर रहे है, कुछ दिन पूर्व विश्वविद्यालय में हंगामा हुआ था। इस मामले कों शांत करने के लिए हम वहां गए थे। इस मामले में यह जानकारी मिली की जो ठेकेदार है सिराज उसने अभी तक जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक का बिल नहीं दिया है और न ही नए देकेदार ने बिल उपलब्ध कराये | इस विश्वविद्यालय कों कोविड-19 केंद्र बनाया हुआ है। हंगामें के दोरान एसडीएम, सीओ और अन्य उच्च अधिकारी मौजूद थे, 5 घंटे तक हमारी बातचीत चली मज़दूरों के साथ, फिर हमने सुपरवाइजर से बिल मंगवाये जो उन्होने रात को 9:30 पर यह बिल उपलब्ध कराये । यह बिल इसलिए मंगवाया गया था ताकि मज़दूरों को उनका वेतन मिल जाये। क्योंकि सिराज के फ़र्म में 3 महीने से उनको वेतन प्रदान नहीं किया था। Covid-19 के कारण उन मज़दूरों को ओर समस्या बढ़ गयी ।

कुलसचिव, (श्री सुरेश चन्द शर्मा):

शिकायतकर्ता ने कोई भी बिल सही से नहीं दिया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

क्या जो काम हो रहा है वो बिना बिल के भुगतान के हो रहा है?

कुलसचिव, :(श्री सुरेश चन्द शर्मा)

महोदय, जब बिल इकट्ठे हो जाते है तब उसका भुगतान कर दिया जाता है।

एसडीएम, सैफई (श्री हेम सिंह):-

हमारे द्वारा फ़र्म को यह बोल दिया गया हे की वो मज़दूरों का वेतन सीधा उनके बेंक खाते में करे।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

शिकायतकर्ता के द्वारा 3 से 4 महीने के बिल दिये गए है आप को?

कुलसचिव, (श्री सुरेश चन्द शर्मा):

जी नहीं महोदय, वो बिल नहीं देते है, अगर उन्होने समय से बिल दे दिये होते तो समय से भुगतान किया जाता विश्वविद्यालय द्वारा एवं मज़दूरों को भी उनका वेतन समय से मिल जाता।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

जब इतनी समस्या हो रही थी तो आप इस फ़र्म को 10 साल से क्यों काम देते आ रहे हो? क्या आप लोगों ने पिछले 10 सालो में इनसे मज़दूरों के बैंक खाते एवं सही बिल की जानकारी नहीं मांगी थी?

कुलसचिव, (श्री सुरेश चन्द शर्मा):

महोदय, मेरे कुलसचिव के पद का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात ही मैने शिकायतकर्ता के फ़र्म को लिखित रूप में बिल को जमा करवाने के लिए अवगत कराया था। मेरे इस पद पर नियुक्ति से पूर्व मोखिक रूप से काम होता था ।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

क्या आप लोग जो मज़दूर काम कर रहे है उनकी ईपीएफ़ का चालान नहीं देखते है क्या उसकी कोई जानकारी नही लेते है आप फ़र्म से?

कुलसचिव, (श्री सुरेश चन्द शर्मा):

महोदय, हम चालान मांगते थे बिल के साथ परंतु उसको प्रदान नहीं किया जाता है। मेरे आने के बाद ही यह पूरे मामले के बारे में पता चला है। उससे पहले बिल और चालान के लिए लिखित रूप में जानकारी नहीं मांगी जाती थी ना ही कोई पत्र भेजा जाता था।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

यह विश्वविद्यालय की ज़िम्मेदारी बनती है कि वह बिल मांगे फ़र्म से और बिल मिलने के बाद ही उससे आगे के बिल का भुगतान करे । जो आप विश्वविद्यालय के अधिकारीयों को करना चाहिए था और आपके द्वारा नहीं किया गया | सिराज आप के द्वारा यह कहा गया था कि मज़दूर बेरोजगार हो गये है । परंतु कुलसचिव द्वारा यह बतया गया है कि कोई भी मज़दूर बेरोजगार नहीं हुआ है वह अभी भी वहां काम कर रहे है और आप के द्वारा प्रत्येक महीने का बिल भी विश्वविद्यालय को समय से जमा नहीं किया गया है। आपने इनके ईपीएफ़ के दस्तावेज भी जमा नहीं किये है।

शिकायतकर्ता (श्री सिराज चौधरी):-

महोदय, मेंने बिल के साथ ईपीएफ़ के सारे दस्तावेजों लगा के भेजे थे, जिसकी प्राप्ति की रसीद (receiving) भी मेरे द्वारा ली गयी है। मेरे द्वारा सारे ईपीएफ़ और बिल मार्च 2019 तक पूरी तरह से दिये जा चुके है। जो ईपीएफ़ देरी से जमा हुए थे उस पर लेट-पेनल्टी लगायी गयी थी, पेनल्टी का कुछ भाग जमा करके नियम अनुसार मेरे द्वारा समय ले लिया गया था । कृपया इन पत्रों का अवलोकन करे | (अवलोकन में पत्र संख्या 17485Dmg/UP/39143 दिनांक 30.09.2019)

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

मुझे चार पत्र प्रस्तुत किये गये है, जिनमे शिकायतकर्ता पर चार अलग अलग EPF राशी की देयता निकाली गयी है | इन पत्रों में कौन सा पत्र सही है एवं कौन सा सही नहीं है इसकी जानकारी नहीं दी गयी । एक पत्र पर कुलसचिव के हस्ताक्षर है (संलग्नक प्रष्ठ संख्या -68 में विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या 49/E/यूपीयूएमएस/2017-18 दिनांक 06 अप्रैल 2017) जिसमे **1,53,32,454/-** रूपये राशी की बकाया बताई गयी है | दूसरे पत्र पर वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर है (संलग्नक प्रष्ठ संख्या -66 में विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या 35/यूपीयूएमएस/वित्त एवं लेखा/2017-18 दिनांक 23 मई 2017) जिसमे **1,33,59,631.74/-** रूपये राशी की बकाया बताई गयी है | तीसरे पत्र पर कुलपति के हस्ताक्षर है (संलग्नक प्रष्ठ संख्या -74 में विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या 1606/E/यूपीयूएमएस/2017-18 दिनांक जुलाई 2017) जिसमे **1,33,59,631.74/-** रूपये राशी की बकाया बताई गयी है | चौथे पत्र पर कुलपति के हस्ताक्षर है (संलग्नक में विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या 55/यूपीयूएमएस/2020 दिनांक 22 जून 2020) जिसमे **1,21,97,007.74/-** रूपये राशी की बकाया बताई गयी है | यह जो रिकवरी की रकम है वो 4 साल बाद किस तरह कम हो सकती है। स्पष्टीकरण दें |

एसडीएम, सैफई (श्री हेम सिंह):-

महोदय, यह रिकवरी की रकम कितने मज़दूर उस समय काम कर रहे है उस पर निर्भर करती है।

शिकायतकर्ता (श्री सिराज चौधरी):-

श्रीमान जी विश्वविद्यालय द्वारा किये गए भुगतान के मद से कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान को जमा कर बिलों के साथ विश्वविद्यालय को चालान उपलब्ध कराये गए है, क्योंकि अनुबंध की व्यवस्था के अनुसार भुगतान किया जाता रहा है अनुबंध में शर्त के रूप में स्पष्ट है कि बिल के साथ चालान अनिवार्य है, तभी अग्रिम भुक्तान किया जायेगा | उसी अनुसार भुगतान हो रहा है |

विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी), (श्री जयशंकर प्रसाद):-

महोदय, ईपीएफ़ वाले मामले की जाँच अभी भी जारी है, इसकी जाँच विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाहरी लोगो के पास प्रति कुलपति की अध्यक्षता में चल रही है। कृपया पत्र देखे | (संलग्नक पत्रांक संख्या 3990/E/ यू0पी0एम0एस /सामा0प्रशा0(01)ए0ए0ओ0/2019-20 दिनांक 25/01/2020)

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

आप कब विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) के पद पर नियुक्त हुए है?

विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी), (श्री जयशंकर प्रसाद):-

महोदय, पिछले साल ही मेरी नियुक्ति हुई है।

एसडीएम, सैफई (श्री हेम सिंह):-

महोदय, अगर ईपीएफ़ के पैसे जमा हो रहा है तो उसकी जाँच की जा सकती है। शिकायतकर्ता द्वारा जो भी दस्तावेज विश्वविद्यालय को प्राप्त हुए है उनकी जाँच करा ली जाएगी कि जो हस्ताक्षर उस पर हुए है वो सही है या गलत।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

आप ने अपने पत्र में यह उल्लेख नहीं किया है कि यह जो रिकवरी की रकम लिखी हुई है वो किस अवधि की है। अगर अपके पास सारी जानकारी है अवधि और रिकवरी रकम की तो उसको आयोग में क्यों नहीं प्रस्तुत किया है, कितनी रकम जमा हो गयी है और कितनी रह गयी है इसकी जानकारी कैसे दे सकते है बिना किसी दस्तावेज के। 2017 में रिकवरी की रकम अलग है और 2019 में अलग यह कैसे पता चलेगा। आपने इस आधार पर शिकायतकर्ता की फ़र्म को ब्लेकलिस्ट कर दिया है, जबकि आपकी जाँच अभी चल रही है | दंडस्वरूप ब्लैकलिस्टेड अपने निष्कर्ष से पूर्व ही कर दिया | आपकी तरफ से फॉलो-अप (**followup**) तो लिया ही नहीं गया ।

कुलसचिव, (श्री सुरेश चन्द शर्मा):

महोदय, शिकायतकर्ता की फ़र्म को ब्लेकलिस्ट करने का केवल यह कारण नहीं था और भी कारण थे जिनमे से एक कारण यह था कि शिकायतकर्ता मज़दूरों को उनका वेतन बैंक खाते में नहीं दे रहा था।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

आप लोग 2007 से लेकर 2019 तक एक फ़र्म से काम करवाते रहे है और अचानक 2 महीने में उसी फ़र्म को ब्लेकलिस्ट कर देते है।

शिकायतकर्ता (श्री सिराज चौधरी):-

महोदय, ईपीएफ़ के चालानो को सीए (CA) से सत्यापित करने के बाद ही मेरे द्वारा विश्वविद्यालय में जमा कराया गया एवं उसकी प्राप्ति की रसीद (receiving) भी ली थी। चालान जो गुम हो गए थे उसके लिए लगभग 55 लाख रूपये सिक्यूरिटी जमा की थी, जो अभी भी विश्वविद्यालय के पास है। सारी धनराशि शपथ पत्र (affidavit) के माध्यम से जमा करा दी गयी है। जो भी कागज़ कुलसचिव पास लाये जाते थे अब यह कह रहे है कि सब पर यह बिना देखे हस्ताक्षर कर देते है । आज तक मेरे द्वारा बार बार मांगे जाने पर भी मुझ शिकायतकर्ता को इन्होने कोई लिस्ट भी नहीं प्रदान की है जिसमें यह लिखा हो कि किन-किन मज़दूरों का ईपीएफ़ जमा नहीं हुआ है ।

एसडीएम, सैफई (श्री हेम सिंह):-

महोदय, आप हमे पिछले तीन महीने का बिल दिलवा दीजिए । हम कुलपति द्वारा उनका भुगतान करवा देंगे।

शिकायतकर्ता (श्री सिराज चौधरी):-

महोदय, मैं इतने वर्षों से विश्वविद्यालय में काम करवा रहा हूँ, विश्वविद्यालय में कभी भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है | अब इधर कुछ महीनो से अचानक इनको मेरे काम से दिक्कत होने लगी है।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

कुलसचिव जी, आप कैसे कह सकते है कि शिकायतकर्ता ने प्रशंसा पत्र स्वयं बना लिए होंगे। एसडीएम द्वारा भी इनके काम की तारीफ की गई है। इन्होंने 2018-19 तक ईपीएफ़ जमा करने के बाद उसका चालान भी दिया है। आप बताये की उसके बाद उनको कितना ईपीएफ़ देना है हर महीने का कितना ईपीएफ़ बनता है इसकी भी जानकारी दे आयोग को, आयोग यह भी जानना चाहता है की किस आधार पर आपने शिकायतकर्ता की फ़र्म को ब्लेकलिस्ट कर दिया है।

विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी), (श्री जयशंकर प्रसाद):-

महोदय, कुल भुगतान का 24 प्रतिशत बनता है ।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

आपने किस आधार पर 1 करोड़ 21 लाख का पत्र इनको दिया है। आपके द्वारा शिकायतकर्ता पर अलग अलग देयता निकाली गयी है | वर्ष 2017 में 1 करोड़ 53 रूपये की देयता निकाली, तीन वित्तीय वर्ष बाद आपने वर्ष 2020 में 1 करोड़ 21 लाख रूपये की देयता निकाली | किस आधार पर देयता निकली गयी है, स्पष्ट करें |

एसडीएम, सैफई (श्री हेम सिंह):-

ईपीएफ़ओ के आयुक्त के पास सारे कर्मचारियों की जानकारी होती है । उनके द्वारा पता किया जा सकता है की कितने लोगों का ईपीएफ़ जमा किया गया है ।

शिकायतकर्ता (श्री सिराज चौधरी):-

महोदय, OSD साहब से तो पूछ लीजिये | कुलपति महोदय के आदेश पर इन्होने ही तो जाँच की थी, जिसमे मेरे ऊपर कोई देयता नहीं निकली गयी है और मेरी ही विश्वविद्यालय पर अतिरिक्त धनराशी निकली है | पूछ लीजिये |

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) आप बताये जाँच में क्या मिला |

विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी), (श्री जयशंकर प्रसाद):-

महोदय इन्होने (शिकायतकर्ता) ब्लैकलिस्ट और EPF के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था | इसकी जाँच कुलपति जी ने मुझे दी थी | जिसकी बात शिकायतकर्ता कर रहे है | उसमे अलग अलग देयता और विश्वविद्यालय में जमा चालानों का परिक्षण किया, उसमे 55 लाख के चालान नहीं मिले, जिसके लिए हमने शिकायतकर्ता से 55 लाख के एफडीआर सिक्यूरिटी के रूप में जमा करा लिए थे | जाँच में चालान न मिलने पर यही देयता मिली और उसके हमने एफडीआर जमा करा लिए | जाँच में और कोई देयता नहीं मिली थी |

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

शिकायतकर्ता के अनुसार 313 मज़दूर काम कर रहे है विश्वविद्यालय में परंतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत पत्रों में कभी 321 लिखा हुआ है तो कभी 320 लिखा हुआ है।

शिकायतकर्ता (श्री सिराज चौधरी):-

महोदय, विश्वविद्यालय एक भी मज़दूर का नाम बता दे जिस का ईपीएफ़ जमा नहीं हुआ है। बिना आरोप सिद्ध किये मुझे ब्लैकलिस्ट करके दण्डित किया गया, मेरा उत्पीडन करने के लिए |

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

आप आयोग को उन मज़दूरों की जानकारी प्रदान करे जिसका ईपीएफ़ जमा नहीं हुआ है। शिकायतकर्ता और कुलपति आपस में एक साथ बैठ कर बात कर ले और शपथ पत्र (**affidavit**) की एक प्रतिलिपि आयोग में भी उपलब्ध कराये।

एसडीएम, सैफई (श्री हेम सिंह):-
महोदय, ईपीएफ़ विभाग से सारे मज़दूरों की जानकारी मँगवा कर उसकी जाँच करवाली जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:
आप समस्त अधिकारीगण 15 कार्यदिवसो के अंदर जिन लोगो का EPF जमा नहीं है, जिनको लेकर फर्म को दण्डित करने का कार्य किया गया है अथवा अन्य साक्ष्य, अग्रिम आदेश से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

तथ्य एवं निष्कर्ष:-

उपरोक्त प्रकरण में सम्यक अभिलेखीय अवलोकन करने पर आयोग को निम्नलिखित तथ्य प्राप्त हुए :-

1. उपरोक्त के सन्दर्भ में श्री सिराज चौधरी प्रोपराईटर मैसर्स कुमारी शाबरीन द्वारा आयोग में उपस्थित होकर शिकायत पत्र प्रेषित किया गया, जिस शिकायती पत्र पर दिनांक 13.03.2020 को आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया | शिकायती पत्र के अंतर्गत अवगत कराया गया कि मैसर्स कुमारी शाबरीन दशको से कार्यरत 313 कर्मचारियों के साथ उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा में वर्ष 2007 से निरंतर कार्य कर रही थी | वर्ष 2017 में संस्थान से विश्वविद्यालय में परिवर्तित होने के बाद कुलसचिव का पद सृजित हुआ, उसके बाद से आज तक शिकायतकर्ता पर निराधार आरोप लगाए गए | तद्क्रम में पिछड़ी जाति (कस्साब) मुस्लिम होने के कारण उच्च जाति के अधिकारीयों द्वारा अपनी परिचित फर्म को लाने के लिये शिकायतकर्ता की फर्म को असत्य आरोपो के आधार पर समाचार पत्रो में प्रचारित/बदनाम कर फर्म प्रोपराइटर को तरह तरह की यातनाये देते हुये प्रताड़ित कर प्रदेश सरकार द्वारा ईमानदारी से टेण्डर कराये जाने की योजना को बदनाम कर ई0टेण्डिरिंग के नियमो को दरकिनार कर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित निविदा सं0 यूपीयूएमएस/एमएम-सैनीटेशन सर्विसेस/126/2018-19 दिनाकः 05 फरवरी 2019 को खोला गया और अपनी परिचित फर्म के सफल न हो पाने पर नियमो के विरुद्ध बॅटवारा किया गया बॅटवारे से न खुश फर्म के कहने पर निविदा को निरस्त कर पुनः नई निविदा सं01150 एंव 1151 दिनाकः 31.10.2019 को दिनाकः 02.11.2019 को ई0टेण्डिरिंग के आई0टी0 पोर्टल पर अपलोड किया गया तथा निविदा विज्ञापन सं01184 दिनाकः 07.11.2019 जो दिनाकः 09.11.2019 को प्रकाशित कराया गया जैसे कतिपय आरोप अंकित किये गए |
2. शिकायतकर्ता द्वारा आयोग को मैसर्स कुमारी शाबरीन फर्म के ऊपर विश्वविद्यालय द्वारा आरोपित आरोपों के सम्बन्ध में, जिसमे विश्वविद्यालय द्वारा लगाए गए आरोप "श्रमिको का फण्ड (EPF) जमा नहीं किये जाने, सफाई कर्मचारियों को वर्दी एवं परिचय पत्र न दिए जाने" के सम्बन्ध में EPF के चालानों की प्रतियाँ

(शिकायत के साथ संलग्न) प्रदर्शित करते हुए तथा समय समय पर दिए गए विश्वविद्यालय व उपजिलाधिकारी सैफई द्वारा प्रशंसा पत्र दिखाते हुए, निविदा सं01150 एंव 1151 दिनाक 31.10.2019 को भविष्य में क्षतिपूर्ति न हो पाने व समस्त 313 कर्मचारियों के परिवार प्रभावित होना अवगत कराते हुए निविदा प्रक्रिया को रोकते हुए जांच की प्रार्थना की |

3. मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी, श्री प्रदीप कुमार के पत्रांक संख्या 07/यूपीयूएमएस/वित्त एंव लेखा/2020-21 दिनांक 16 अप्रैल 2020 द्वारा अवगत कराया गया कि वह उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा उत्तर प्रदेश में मुख्य वित्त एंव लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत है | विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय की निविदा प्रक्रिया को दुरुतप्रगति देने एंव पारदार्शिता के साथ निस्तारण के लिये निविदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

4. उसी क्रम में निविदा समिति का अध्यक्ष (मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी, श्री प्रदीप कुमार) द्वारा अवगत कराया गया कि "तकनिकी निविदा स्क्रीनिंग समिति द्वारा फर्म मैसर्स शार्प ग्लोबल ग्रुप नई दिल्ली को आई पाया दिनाकः04.03.2020 को वित्तीय निविदा खोली गयी जिसमें फर्म मैसर्स शार्प ग्लोबल ग्रुप नई दिल्ली की ही दरे न्यूनतम पाये जाने के कारण चयन किया गया चयन समिति द्वारा उक्त निविदा का सरसरी तौर पर परिक्षण करते हुये मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन के लिये दिनाकः13.03.2020 को भेज दिया दिनाकः16.03.2020 को चयनित फर्म को कार्य आदेश जारी कर दिनाकः01.04.2020 से काम करने के लिये कह दिया इसकी कोई सूचना कार्यरत फर्म को नही दी गयी समस्त कार्यावाही इतनी दुरुतगति से की गयी कि किसी भी फर्म को अपना पक्ष रखने का अवसर न मिल सके उक्त समस्त प्रक्रिया में कही आद्योहस्ताक्षरी की सहमति नही ली गयी और न पक्ष प्रस्तुत करने का समय दिया गया | चयनित फर्म का अनुबन्ध भी कायदिश निर्गत होने के पश्चात किया जाना प्रक्रिया को संदिग्ध बना देता है | जिसमें आद्योहस्ताक्षरी का कही कोई रोल नही दिखता विश्वविद्यालय के कुछ सम्भ्रान्त अधिकारीयों की कमेटी बनाकर आद्योहस्ताक्षरी के अधिकारो की उपेक्षा करते हुये मनमाने तरीके से निविदा सं0 1150 एरिया (1) एंव निविदा सं0 1151 एरिया (2) की निविदा प्रक्रिया को सम्पादित की गयी है" | उल्लेखनीय है कि निविदा समिति के अध्यक्ष का सम्पूर्ण निविदा के तहत कोई योगदान ने लेकर, विश्वविद्यालय द्वारा नियम विरुद्ध संदिग्ध समिति बनाकर सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया को पूर्ण कराया गया |

5. तद्क्रम में आयोग द्वारा दिनांक 17.03.2020 को प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग व विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी एवं अध्यक्ष निविदा समिति को पत्र प्रेषित करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 338B के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए मामले के निस्तारण के क्रम में पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर जांच/अन्वेषण आख्या आपेक्षित की गयी |

6. उसी क्रम में दिनांक 17.03.2020 को शिकायतकर्ता द्वारा एक और पत्र प्रेषित करते हुए प्रार्थना की गई "प्रकरण की जाँच पूर्ण होने तक उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई जनपद इटावा उत्तर प्रदेश के

अधिकारीयों सहित कुलसचिव महोदय एवं चिकित्सा अधीक्षक द्वारा द्वेषभावना की जा रही है, अनैतिक कार्यवाही की जा रही है, के कारण भविष्य में उसकी भरपाई हो पाना संभव नहीं है के लिए दिनांक 13.03.2020 के बाद जारी आदेशो पर स्थगना आदेश जारी कर प्रकरण की सुनवाई कर न्याय दिए जाने के सम्बन्ध में" | संलग्नक में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या 4584/यूपीयूएमएस/का0से0 / 123 /2019-20 जिसके अंतर्गत "कुलसचिव द्वारा मैसर्स शार्प ग्लोबल ग्रुप को प्रेषित वर्क आर्डर जिसमे टेंडर की शर्त के अनुसार अनुबंध प्रारूप प्रस्तुत करने, स्टाम्प पेपर एवं सिक्योरिटी कुल वार्षिक मूल्य का 05 प्रतिशत अथार्त रु 5,95,000/- का एफडीआर इत्यादि बिना अंतिम तिथि निर्धारित किये प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षित किया गया" अवगत कराया गया |

7. उपरोक्त के निस्तारण के क्रम में नैसर्गिक न्याय व भविष्य में क्षतिपूर्ति न हो पाने को द्रष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा आयोग के कार्यविधि के नियम (Rules of procedure) के अंतर्गत नियम 3.2.7 का प्रयोग करते हुए, प्रकरण की जांच पूर्ण होने तक दिनांक 20.03.2020 के पत्र द्वारा प्रकरण में स्थगन करते हुए, तीन दिवसों में आख्या अपेक्षित की गयी |
8. उपरोक्त अपेक्षित जाँच के प्रत्युत्तर में प्रेषित जांच आख्या के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा पत्रांक संख्या 4690/E/U.P.U.M.S./2019-20 दिनांक 21 मार्च 2020 के अंतर्गत शिकायतकर्ता के विरुद्ध आरोपो की पुनरावृत्ति करते हुए, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी समस्त कार्यवाहीयों से अवगत कराया गया | तदनुसार आयोग द्वारा विश्वविद्यालय से प्राप्त आख्या के सम्बन्ध में दिनांक 27.03.2020 के पत्र माध्यम से शिकायतकर्ता सिराज चौधरी से प्रत्युत्तर अपेक्षित किया गया |
9. उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा प्रेषित पत्रांक संख्या 4746 दिनांक 28 मार्च 2020 के अंतर्गत कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए महामारी के अंतिम रूप से समाप्त होने तक आयोग के अपने पत्र दिनांक 20.03.2020 को वापस लेने के लिए प्रार्थना की गयी |
10. दिनांक 30.03.2020 के शपथ पत्र आयोग को प्रेषित कर मैसर्स कुमारी शाबरीन में सैकड़ो कार्यरत कर्मचारियों द्वारा सर्वसम्मति से अवगत कराया गया कि "अपने आपको मैसर्स शार्प गुलोबल ग्रुप का सुपरवाइजर बताकर हम प्रार्थीगणों से काम करते रहने के लिए हज़ारो रुपयों की मांग की जा रही है जब उन लोगो से कहा कि हम लोग पुराने है और हमारी कोई शिकायते भी नहीं है फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है तो उन्होंने बताया कि पैसा दिया है तो पैसा लगेगा यह सरासर अन्याय/उत्पीडन है |"
11. आयोग के पत्र दिनांक 31.03.2020 को ईमेल के माध्यम से आयोग द्वारा पुनः विश्वविद्यालय के कुलसचिव को पत्र प्रेषित करते हुए "If, the non-co-operation found, it will be presumed that you have deliberate and intentional violate orders of the Commission & you have no respect for the National Commission for Backward Classes established under the Constitution of India and your acts amount to be misconduct applicable to you under the dereliction of

duty, improper behavior towards the Commission, disowning allegiance to the Commission & strict action will be taken against you." प्रकरण की सम्पूर्ण स्थिति संक्षेपित करते हुए स्थगन बरकरार रखना अपेक्षित किया |

12. उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के निदेशक (वित्त) द्वारा प्रेषित पत्रांक संख्या 634/U.P.U.M.S./F&A /2019-20 दिनांक 31 मार्च 2020 के अंतर्गत आयोग को अवगत कराया गया कि "मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन दिनांक 23.03.2020 के क्रम में नई फर्म मे0 शार्प ग्लोबल ग्रुप, हरियाणा से दिनांक 25.03.2020 को अनुबंध कर लिया गया है |" | उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा सेनिटेशन निविदा सम्बन्धी समस्त कार्य अपने स्थगन आदेश दिनांक 20.03.2020 द्वारा रोक दिया था | बावजूद इसके आयोग को जाँच में सहयोग न कर विश्वविद्यालय ने दिनांक 25.03.2020 को मैसर्स शार्प ग्लोबल, हरयाणा के पक्ष में अनुबंध निष्पादित कर दिया | जो कि संवैधानिक संस्था (आयोग) के प्रति कर्तव्यों का उल्लंघन है |
13. तद्क्रम में आयोग के पत्र दिनांक 07.04.2020 द्वारा प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग, जिलाधिकारी इटावा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा एवं EPFO हेड ऑफिस से आख्या अपेक्षित की |
14. अपेक्षित आख्या न मिलने, विश्वविद्यालय द्वारा जाँच में सहयोग ने करने एवं कर्मचारियों द्वारा निरंतर आयोग में संपर्क करने पर आयोग द्वारा दिनांक 17.04.2020 को उक्त प्रकरण में माननीय मुख्य मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र प्रेषित करते हुए, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग लखनऊ, जिलाधिकारी इटावा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित पत्र किया गया |
15. तद्क्रम में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या 122/यू0पी0यू0एम0एस0/सामा0प्रशा0 (01) ए0ए0ओ0/ 2020-21 जिसके अंतर्गत कुलसचिव द्वारा मैसर्स कुमारी शाबरीन चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल को सफाई कार्य करने के दौरान आरक्षित किये गए आवासों को तत्काल 24 घंटे के अन्दर खाली किये जाने के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये गए |
16. उसी क्रम में मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी व टेंडर समिति के अध्यक्ष, श्री प्रदीप कुमार द्वारा दिनांक 25.04.2020 को अपने पत्र द्वारा आयोग को Covid-19 लोकडाउन घोषित होने के परिणामस्वरुप अस्पताल का कार्यभार ग्रहण न कर पाने व आयोग द्वारा प्रेषित पत्रों के अनुपालन में सही तथ्यों पर आधारित आख्या से नाराज होकर विश्वविद्यालय द्वारा नाराज होकर पिछड़ी जाति के होने के फलस्वरूप, कार्यभार ग्रहण करने से वंचित कर दिया | तदुपरांत दिनांक 24.06.2020 को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी के कार्यभार से मुक्त करने का आदेश निर्गत कर दिया | मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा आयोग को जाँच रिपोर्ट देने के परिणाम स्वरुप अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यभार मुक्त करने के आदेश निर्गत करना व आयोग के प्रति कर्तव्यों की अवेहला, विश्वविद्यालय प्रशासन की निरंकुशता को स्पष्ट करता है |

17. आयोग द्वारा दिनांक 06.07.2020 को उपरोक्त प्रकरण में सुनवाई नियत करते हुए, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग व विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, जिलाधिकारी इटावा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा की उपस्थिति अपेक्षित की गयी |

18. उपरोक्त सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष कार्यालय उपजिला मजिस्ट्रेट सैफई जनपद इटावा द्वारा प्रेषित पत्रांक संख्या 785/एस0टी0 / मा0रा0पि0वर्ग आयोग / 2020 दिनांक जुलाई 04, 2020 श्री चंद्रपाल सिंह, क्षेत्राधिकारी सैफई व श्री हेम सिंह, उप जिलाधिकारी सैफई की संयुक्त जांच आख्या प्रेषित की गयी | जिसमे उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में दी गयी जाँच आख्या, विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा हस्ताक्षरित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के पत्रांक संख्या 61/E/यूपीयूएमएस/का0से0/207/2020-21 दिनांक 14 अप्रैल 2020 की डिट्टो नक़ल (डिट्टो कॉपी) है | तदुपरांत शिकायतकर्ता के विरुद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दर्ज मुक़दमे का विवरण दिया गया है | जिससे जाँच वास्तविक एवं नैसर्गिग न होना परिलिक्षित है |

19. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आवेदक की फर्म पर अंकित कराये गए आरोपो के सम्बन्ध में साक्ष्य के अभाव में आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी |

20. सुनवाई के दौरान जिन लोगो का EPF जमा नहीं है, जिनको लेकर फर्म को दण्डित करने का कार्य किया गया है अथवा अन्य सम्बंधित साक्ष्य आदि आयोग द्वारा 15 कार्यदिवसो में उपलब्ध कराना अपेक्षित किया गया | 45 कार्यदिवसो के उपरांत पाया गया कि आयोग को अपेक्षित साक्ष्य वर्तमान तक भी उपलब्ध नहीं कराये गए है |

उपरोक्त तथ्यों एवं निष्कर्ष के आलोक में जांच आख्या शासन को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है | आयोग को 15 कार्यदिवसो में कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करे |

(डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति)
माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(जे. रविशंकर)
अवर सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(संदीप कुमार)
निजी सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग